अत्यावश्यक

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
State Election Commission, Bihar

पत्रांकः–.न0नि0–50–12/2025..2361..............................

प्रेषकः–

विशेष कार्य पदाधिकारी
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका/पंचायत)
–सह–
जिला पदाधिकारी,बिहार राज्य।

पटना, दिनांकः–31.5.25

विषयः– बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007(यथासंशोधित) की धारा–474–सह–पठित बिहार निर्वाचन नियमावली–2007(यथासंशोधित) के नियम–101(1) के उल्लंघन के कारण निरर्हित अभ्यर्थियों से संबंधित आदेश की प्रति उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के न्यायालय में संस्थित वाद संख्या–17/2020, वाद संख्या–104/2022 एवं वाद संख्या–105/2022 में न्याय–निर्णय पारित करते हुये कुल 95 अभ्यर्थियों को आदेश निर्गत की तिथि से तीन वर्षों के लिये निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु निरर्हित घोषित किया गया है। निरर्हित अभ्यर्थी का नाम पता निम्न तालिका के अनुसार हैः–

नगर पंचायत कोचस				
क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	वार्ड संख्या	पत्राचार का पता
1	आशुतोष बाहदुर	श्री राम आशीष सिंह	06	गॉधी नगर, थाना+पोस्ट–कोचस
2	प्रियंका कुमारी	श्री मुन्ना कुमार	10	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस
3	अरविन्द ओझा	श्री राम चन्द्र ओझा	01	ओझवलिया, पोस्ट+थाना–कोचस
4	गीता देवी	श्री दशरथ साह	12	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस
5	उषा देवी	श्री उमेश कुमार गुप्ता	05	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस
6	रेहाना खातुन	श्री अब्दुल हक साइ	14	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस
7	नसीमा खातून	सदरूदीन अली अहमद	15	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस
8	श्री नन्दलाल साह	स्व0 सोमारू साह	14	चाणक्य नगर, थाना+पोस्ट–कोचस
9	श्रीमती गीता देवी	श्री सरोज राम	13	एन.एच. 30 छावनी रोड़, रविदास नगर, थाना+पोस्ट–कोचस
10	श्रीमती निर्मला देवी	श्री विपिन सिंह	15	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस
11	बेबी बेगम	जाउल हसन	4	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस
12	श्री मथुरा चौधरी	स्व0 बाल गोविन्द चौधरी	2	ग्राम–कोरीगॉवा, थाना+पोस्ट–कोचस
13	श्री उमेश बैठा	श्री हंस लाल बैठा	3	ग्राम–कोचस, थाना+पोस्ट–कोचस

31/5/25

14	**श्री प्रमोद कुमार**	**श्री देवमुनि सिंह**	**07**	**ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस**
15	**श्री विजय कुमार सेठ**	**स्व0 विश्वनाथ सेठ**	**06**	**ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस**
16	श्री गणेश चौधरी	श्री राम चौधरी	02	बहटुटियाँ, थाना+पोस्ट–कोचस
17	श्री नरेश राम	श्री बालचन्द राम	02	कोरीगॉवा, थाना+पोस्ट–कोचस
18	श्रीमती गुड़िया देवी	श्री अरविन्द कुमार	03	महावीर स्थान, थाना+पोस्ट–कोचस
19	श्रीमती मधु देवी	कृष्ण साह	03	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस
20	सरवरी खातुन	मोहम्मद सरफुद्दीन राईन	04	थाना+पोस्ट–कोचस
21	श्री आषीष कुमार	स्व0 राम कुमार केषरी	06	उत्तरी पटेल नगर, कोचस
22	श्रीराम सेठ	श्री राम विलास सेठ	06	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस
23	श्री राजेन्द्र प्रसाद साह	स्व0 रधुनाथ साह	07	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस
24	श्रीमती किरन देवी	श्री मनोज कुमार राम	09	ग्राम–परसियाँ, थाना+पोस्ट–कोचस
25	महफुज आलम	श्री रहमान खलीफा	09	ग्राम–परसियाँ, थाना+पोस्ट–कोचस
26	श्रीमती अंजु देवी	श्री मुन्ना साह	10	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस
27	श्रीमती सीता कुंवर	स्व0 रामाश्रय साह	10	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस
28	श्री अखिलेश साह	श्री डोमा साह	11	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस
29	श्री ब्रजेश कुमार सिंह	श्री राम नगीना सिंह	11	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस
30	श्री मिथलेश कुमार	श्री राम प्रवेश कानू	11	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस
31	श्री रामव्रत भगत	श्री रामकुंवर भगत	11	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस
32	श्री शिव कुमार चौधरी	श्री राम दयाल सिंह	11	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस
33	श्रीमती पम्मी देवी	श्री बघेल बंधु गुप्ता	12	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस
34	श्रीमती धनमानो देवी	श्री धर्मेन्द्र पासवान	13	कृष्णा नगर, थाना+पोस्ट–कोचस
35	श्रीमती रेणु देवी	श्री अशोक राम	13	थाना+पोस्ट–कोचस
36	श्रीमती सुमित्रा देवी	श्री रामजी सिंह	14	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस
37	फिरोजा खातुन	श्री खालिद अंसारी	15	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस
38	रूबी खातून	प्रवेज अंसारी	16	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस
39	श्रीमती संगीता देवी	श्री विजय साह	16	शिव नगर, थाना+पोस्ट–कोचस

नगर पंचायत दिघवारा(सारण)

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	वार्ड संख्या	पत्राचार का पता
1	धूरपति देवी	श्री योगेन्द्र भगत	06	दिघवारा नगर पंचायत, सारण

नगर पंचायत बिक्रमगंज(रोहतास)				
क्र0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	वार्ड संख्या	पत्राचार का पता
1	श्री अजय कुमार सिंह	श्री रामचन्द्र सिंह	01	ग्राम–तेन्दुनी, पोस्ट+ थाना–बिक्रमगंज
2	श्री वकील साह	श्री दीनानाथ साह	01	ग्राम–तेन्दुनी, पोस्ट+ थाना–बिक्रमगंज
3	श्रीमती चन्देश्वरी देवी	श्री लखन साह	02	ग्राम–तेन्दुनी, पोस्ट+ थाना –बिक्रमगंज
4	श्री मुन्ना साह	श्री भगवान साह	02	ग्राम–तेन्दुनी, पोस्ट+ थाना –बिक्रमगंज
5	श्री रंजन कुमार	देवराज सिंह	02	ग्राम–तेन्दुनी, पोस्ट+ थाना –बिक्रमगंज
6	श्रीमती सुमन देवी	श्री रंजन कुमार	02	तेन्दुनी, पोस्ट+ थाना –बिक्रमगंज
7	श्रीमती आरती देवी	श्री पप्पू सेठ	03	मु0 दिबरा, तेन्दुनी, पोस्ट + थाना–बिक्रमगंज
8	श्री आनन्द कुमार	श्री चन्द्रभूषण सिंह	03	मु0 आरा रोड, तेन्दुनी, पोस्ट+ थाना–बिक्रमगंज
9	श्री प्रेम कुमार सोनी	श्री राजू सेठ	04	मु0–बिक्रमगंज, पोस्ट + थाना–बिक्रमगंज
10	श्री विनोद प्रसाद गुप्ता	श्री गोपाल प्रसाद	04	बिक्रमगंज, पोस्ट +थाना–बिक्रमगंज
11	श्रीमती उषा कुमारी	श्री संजय कुमार	05	मु0 आनन्द नगर, पोस्ट +थाना –बिक्रमगंज
12	श्रीमती बिन्दा देवी	श्री सूरज सिंह	05	पति–, मु0 तेन्दुनी, पोस्ट +थाना –बिक्रमगंज
13	श्रीमती भिखीया देवी	श्री सतेन्द्र सिंह	05	तेन्दुनी, पोस्ट+थाना –बिक्रमगंज
14	श्री अरूण कुमार	श्री अयोध्या सिंह	06	ग्राम+पोस्ट–धनगाई, थाना–बिक्रमगंज
15	खुर्शीद बानो	श्री हसन अली	07	ग्राम+पोस्ट–धनगाई, थाना–बिक्रमगंज
16	श्री जितेन्द्र कुमार	श्री महेश राम	08	ग्राम+पोस्ट–धनगाई, थाना–बिक्रमगंज
17	श्री मनोज कुमार	श्री नन्हक साह	08	ग्राम–धनगाई, पोस्ट +थाना–बिक्रमगंज
18	श्री विपिन बिहारी मंडल	श्री बंशीधर राम	08	ग्राम–धनगाई, पोस्ट +थाना–बिक्रमगंज
19	श्रीमती शांति देवी	श्री ललन राम	08	ग्राम–धनगाई, पोस्ट +थाना–बिक्रमगंज
20	श्री भगवान प्रसाद	श्री रामचन्द्र राम	08	ग्राम– धनगाई, पोस्ट +थाना–बिक्रमगंज
21	श्रीमती गीता देवी	श्री मनीष कुमार राम	09	ग्राम+पोस्ट–धनगाई, थाना–बिक्रमगंज
22	श्रीमती माया देवी	श्री मुन्ना सिंह	09	ग्राम–धनगाई, पोस्ट +थाना–बिक्रमगंज
23	श्रीमती सीमा सिंह	श्री सुनील कुमार	09	ग्राम–धनगाई, पोस्ट +थाना–बिक्रमगंज
24	मो0 मेराज	मो0 सेराजुद्दीन फारूकी	11	बिक्रमगंज, पोस्ट +थाना–बिक्रमगंज
25	मोहम्मद अनवर फारूकी	मोहम्मद रफीक फारूकी	11	थाना+पोस्ट–बिक्रमगंज
26	श्रीमती कंचन देवी	श्री जीतेन्द्र कुमार सिंह	12	शांतिनगर पानी टंकी, थाना + पोस्ट– बिक्रमगंज
27	श्रीमती कोशिला देवी	श्री अरूण कुमार	12	मनबोध नगर, थाना+ पोस्ट–बिक्रमगंज
28	श्री बंसत चौधरी	श्री विजय चौधरी	13	मो0–गोसाई मोहल्ला, थाना+पोस्ट–बिक्रमगंज
29	श्रीमती शशि देवी चौहान	श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह	13	मोहल्ला कृष्ण नगर थाना+पोस्ट–बिक्रमगंज
30	श्रीमती मीना देवी	श्री काशीनाथ गुप्ता	14	मोहल्ला–अस्कामिनी नगर, पोस्ट+थाना– बिक्रमगंज
31	श्री चंदन कुमार	श्री ह्रदयानन्द साह	15	श्याम नगर, पोस्ट+ थाना–बिक्रमगंज
32	श्रीमती संगीता देवी	श्री संजय कुमार गुप्ता	16	हसनगर, थाना+ पोस्ट–बिक्रमगंज
33	श्रीमती बबीता देवी	श्री कमेन्द्र सिंह	17	शिक्षक कॉलोनी, थाना+पोस्ट–बिक्रमगंज

31/5/25

34	श्रीमती रीता देवी	श्री खुशीचंन्द्र साह	17	मोहल्ला–दुर्गा स्थान, तेन्दुनी, थाना+ पोस्ट–बिक्रमगंज
35	श्रीमती उमा देवी	श्री गणेश रवानी	18	मोहल्ला–गोसाई, थाना+पोस्ट– बिक्रमगंज
36	श्रीमती ज्योति देवी	श्री धर्मेन्द्र कुमार	18	मोहल्ला–नासरीगंज, थाना+पोस्ट– बिक्रमगंज
37	श्री अविशेक कुमार सिंह	श्री नेम नारायण सिंह	19	मोहल्ला+ पोस्ट–धारूपुर, थाना–बिक्रमगंज
38	श्री प्रभाकर कुमार	श्री राधा सिंह	19	मोहल्ला+ पोस्ट–धारूपुर, थाना–बिक्रमगंज
39	श्री राजाराम राजवार	श्री अलगु राजवार	19	मोहल्ला+ पोस्ट–धारूपुर, थाना–बिक्रमगंज
40	श्रीमती किरण देवी	श्री संजय सिंह	21	मोहल्ला+ पोस्ट–धारूपुर, थाना–बिक्रमगंज
41	श्रीमती रानी देवी	श्री संजय सिंह	21	मोहल्ला+ पोस्ट–धारूपुर, थाना–बिक्रमगंज
42	श्रीमती सुनीता देवी	श्री अनिल साह	21	मोहल्ला+ पोस्ट–धारूपुर, थाना–बिक्रमगंज
43	अफरीन खातुन	आलिम कोरैशी	22	मोहल्ला–रहमतनगर, थाना+पोस्ट– बिक्रमगंज
44	अनिसा बेगम	मुननू मियाँ	23	मोहल्ला–बांध, थाना+पोस्ट– बिक्रमगंज
45	नईमा खातुन	नसीम अख्तर	23	मोहल्ला–शाह, पोस्ट+थाना– बिक्रमगंज
46	फिका खातुन	ऐनुल शाह	23	–घुसिया कला रोड़, पोस्ट+थाना– बिक्रमगंज
47	रोखसाना खातुन	जीमल शाह	23	मोहल्ला–बिक्रमगंज, थाना+पोस्ट– बिक्रमगंज
48	हिना खातुन	मोहम्मद रब्बानी शाह	23	मोहल्ला–बिक्रमगंज, थाना+पोस्ट– बिक्रमगंज
49	मो0 गुलाम सरवर	स्व0 मो0 अबरार अहमद खॉ	24	मोहल्ला–बिक्रमगंज (बड़ी मस्जिद के पास) थाना+पोस्ट –बिक्रमगंज
50	श्री भरत राम	श्री रामाधार राम	24	बिक्रमगंज, थाना+पोस्ट– बिक्रमगंज
51	यासमीन आरा	वकील अंसारी	25	गुलजार बाग, थाना+पोस्ट– बिक्रमगंज
52	श्रीमती चनमुना देवी	श्री रनी राहुल कुमार	26	मोहल्ला–सिकरिया, थाना+पोस्ट– बिक्रमगंज
53	यासमीन नाज	मो0 गुलाम सरवर	26	बड़ी मस्जिद के पास बिक्रमगंज, पोस्ट+थाना– बिक्रमगंज
54	मुमताज खातुन	मोहम्मद इरशाद खान	27	मोहल्ला+थाना+पोस्ट–बिक्रमगंज
55	रजिया खातुन	मोहम्मद शरफुद्दीन	27	मोहल्ला+थाना+पोस्ट–बिक्रमगंज

अनुरोध है कि पत्र प्रति सभी निर्वाची पदाधिकारियों को हस्तगत करा दी जाये, ताकि निरर्हित अभ्यर्थियों का नामांकन–पत्र गलती से स्वीकार नहीं कर लिया जाये। सुलभ प्रसंग हेतु उक्त आदेशों की प्रति संलग्न की जा रही है, साथ ही साथ आदेशों का सहज अवलोकन राज्य निर्वाचन आयोग के Website पर भी उपलब्ध है।

अनु0ः–**यथोक्त।**

विश्वासभाजन

31/5/25

विशेष कार्य पदाधिकारी

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना

वाद संख्या–105/2022

निर्वाची पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, बिक्रमगंज, रोहतास बनाम् अजय कुमार सिंह एवं अन्य(59) अभ्यर्थी।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा पत्रांक 1719/निर्वा0 दिनांक 17.12.2022 से नगर परिषद बिक्रमगंज के आम निर्वाचन, 2018 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा 30 दिनों के अंदर निर्वाचन व्यय विवरणी दाखिल नहीं करने पर कुल 59 अभ्यर्थियों की सूची एवं अन्य विवरण उपलब्ध कराया गया।

बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–474–सह–पठित बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 101 (1) के तहत निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के अंदर निर्वाचन व्यय विवरणी निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करना आवश्यक है।

उक्त नियम का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 100 (2) (vi) एवं नियम 100(3) के तहत दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–474(2) में ऐसे अभ्यर्थियों पर आदेश निर्गत कि तिथि से 3 वर्षो तक निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेने पर रोक का प्रावधान है।

आयोग द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास से प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी 59 अभ्यर्थियों को उनका पक्ष रखने हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया। लिये गये निर्णयानुसार निर्वाचन व्यय विवरणी जमा नहीं करने वाले 59 अभ्यर्थियों को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस निर्गत होने के उपरांत कुल 15 अभ्यर्थियों द्वारा अपना पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे के माध्यम से रखा गया। 44 अभ्यर्थी सुनवाई के दौरान कभी भी उपस्थित नहीं हुए।

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे द्वारा आयोग को बताया गया कि नगर परिषद्, बिक्रमगंज का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और वहाँ नयी कार्यकारिणी का गठन किया जा चुका है, अर्थात् यह वाद काल बाधित हो चुका है। अतः इस वाद के सुनवाई या आदेश का कोई प्रभाव प्रतिवादियों पर नहीं पड़ेगा।

आयोग द्वारा पाया गया कि सभी जिला प्रशासन को निर्वाचन व्यय विवरणी जमा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध कार्रवाई के पूर्व **''कारण बताओं नोटिस''** निर्गत किये जाने का अनुदेश/निर्देश आयोग द्वारा दिया गया है, परंतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) –सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा इसका अनुपालन अक्षरशः नहीं कराया गया। फलतः आयोग द्वारा सुनवाई के क्रम में दिनांक 15.05.2024 को सभी 59 अभ्यर्थियों को **''कारण बताओं नोटिस''** जारी करने का आदेश उन्हें दिया गया। आदेश का अनुपालन करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा सभी

अभ्यर्थियों को "कारण बताओं नोटिस" जारी किया गया जिसमें से 04 अभ्यर्थियों द्वारा अपना जवाब दिया गया है, और आरोपों को निराधार बताया गया है, जबकि 55 अभ्यर्थियों द्वारा कोई जवाब दायर नहीं किया गया है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)--सह--जिला पदाधिकारी, रोहतास के प्रतिवेदन के अनुसार सभी 59 अभ्यर्थियों के "कारण बताओं नोटिस" के जवाब की स्थिति निम्नवत् है :--

क्र0	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	वार्ड संख्या	पत्राचार का पता	नोटिस के उपरांत अभ्यर्थियों के जवाब की स्थिति।
1.	अनवर हुसैन	मस्तान खलीफा	04	बिक्रमगंज, पोस्ट+ थाना--बिक्रमगंज	पहली बार चुनाव लड़ने के कारण समझ की कमी से मूल व्यय--पंजी के स्थान पर छायाप्रति जमा कर दिया।
2.	श्रीमती मीरा देवी	श्री सीताराम प्रसाद	15	श्रीकृष्णा नगर, थाना+ पोस्ट--बिक्रमगंज	पहली बार चुनाव लड़ने के कारण समझ की कमी से मूल व्यय--पंजी के स्थान पर छायाप्रति जमा कर दिया।
3.	शाहनाज बानो	शमीम कोरैशी	22	मोहल्ला+थाना +पोस्ट--बिक्रमगंज	भूलवश एवं जानकारी के अभाव में मूल व्यय-- पंजी जमा नही कर सकी।
4.	खेरून निशा	मोहम्मद सैमूल्लाह खा	27	मोहल्ला+थाना+ पोस्ट--बिक्रमगंज	पति के लकवाग्रस्त होने के कारण ईलाज हेतु शहर से बाहर रहना पड़ा, जिसके कारण
5	श्री अजय कुमार सिंह	श्री रामचन्द्र सिंह	01	ग्राम--तेन्दुनी, पोस्ट+ थाना--बिक्रमगंज	नोटिस निर्गत होने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया गया।
6	श्री वकील साह	श्री दीनानाथ साह	01	ग्राम--तेन्दुनी, पोस्ट+ थाना--बिक्रमगंज	
7	श्रीमती चन्देश्वरी देवी	श्री लखन साह	02	ग्राम--तेन्दुनी, पोस्ट+ थाना --बिक्रमगंज	
8	श्री मुन्ना साह	श्री भगवान साह	02	ग्राम--तेन्दुनी, पोस्ट+ थाना --बिक्रमगंज	
9	श्री रंजन कुमार	देवराज सिंह	02	ग्राम--तेन्दुनी, पोस्ट+ थाना --बिक्रमगंज	
10	श्रीमती सुमन देवी	श्री रंजन कुमार	02	तेन्दुनी, पोस्ट+ थाना --बिक्रमगंज	
11	श्रीमती आरती देवी	श्री पप्पू सेठ	03	मु0 दिबरा, तेन्दुनी, पोस्ट + थाना--बिक्रमगंज	
12	श्री आनन्द कुमार	श्री चन्द्रभूषण सिंह	03	मु0 आरा रोड, तेन्दुनी, पोस्ट+ थाना--बिक्रमगंज	
13	श्री प्रेम कुमार सोनी	श्री राजू सेठ	04	मु0--बिक्रमगंज, पोस्ट + थाना-- बिक्रमगंज	
14	श्री विनोद प्रसाद गुप्ता	श्री गोपाल प्रसाद	04	बिक्रमगंज, पोस्ट +थाना--बिक्रमगंज	
15	श्रीमती उषा कुमारी	श्री संजय कुमार	05	मु0 आनन्द नगर, पोस्ट +थाना --बिक्रमगंज	
16	श्रीमती बिन्दा देवी	श्री सूरज सिंह	05	पति--, मु0 तेन्दुनी, पोस्ट +थाना --बिक्रमगंज	
17	श्रीमती भिखीया देवी	श्री सतेन्द्र सिंह	05	तेन्दुनी, पोस्ट+थाना --बिक्रमगंज	
18	श्री अरूण कुमार	श्री अयोध्या सिंह	06	ग्राम+पोस्ट--धनगाई, थाना--बिक्रमगंज	
19	खुर्शीद बानो	श्री हसन अली	07	ग्राम+पोस्ट--धनगाई, थाना--बिक्रमगंज	
20	श्री जितेन्द्र कुमार	श्री महेश राम	08	ग्राम+पोस्ट--धनगाई, थाना--बिक्रमगंज	
21	श्री मनोज कुमार	श्री नन्हक साह	08	ग्राम--धनगाई, पोस्ट +थाना--बिक्रमगंज	
22	श्री विपिन बिहारी मंडल	श्री बंशीधर राम	08	ग्राम--धनगाई, पोस्ट +थाना--बिक्रमगंज	
23	श्रीमती शांति देवी	श्री ललन राम	08	ग्राम--धनगाई, पोस्ट +थाना--बिक्रमगंज	
24	श्री भगवान प्रसाद	श्री रामचन्द्र राम	08	ग्राम-- धनगाई, पोस्ट +थाना--बिक्रमगंज	
25	श्रीमती गीता देवी	श्री मनीष कुमार राम	09	ग्राम+पोस्ट--धनगाई, थाना--बिक्रमगंज	
26	श्रीमती माया देवी	श्री मुन्ना सिंह	09	ग्राम--धनगाई, पोस्ट +थाना--बिक्रमगंज	
27	श्रीमती सीमा सिंह	श्री सुनील कुमार	09	ग्राम--धनगाई, पोस्ट +थाना--बिक्रमगंज	

28	मो0 मेराज	मो0 सेराजुद्दीन फारूकी	11	बिक्रमगंज, पोस्ट +थाना–बिक्रमगंज	
29	मोहम्मद अनवर फारूकी	मोहम्मद रफीक फारूकी	11	थाना+पोस्ट–बिक्रमगंज	
30	श्रीमती कंचन देवी	श्री जीतेन्द्र कुमार सिंह	12	शांतिनगर पानी टंकी, थाना + पोस्ट– बिक्रमगंज	
31	श्रीमती कोशिला देवी	श्री अरूण कुमार	12	मनबोध नगर, थाना+ पोस्ट–बिक्रमगंज	
32	श्री बंसत चौधरी	श्री विजय चौधरी	13	मो0–गोसाई मोहल्ला, थाना+पोस्ट– बिक्रमगंज	
33	श्रीमती शशि देवी चौहान	श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह	13	मोहल्ला कृष्ण नगर थाना+पोस्ट– बिक्रमगंज	
34	श्रीमती मीना देवी	श्री काशीनाथ गुप्ता	14	मोहल्ला–अस्कामिनी नगर, पोस्ट+थाना–बिक्रमगंज	
35	श्री चंदन कुमार	श्री हृदयानन्द साह	15	श्याम नगर, पोस्ट+ थाना–बिक्रमगंज	
36	श्रीमती संगीता देवी	श्री संजय कुमार गुप्ता	16	हसनगर, थाना+ पोस्ट–बिक्रमगंज	
37	श्रीमती बबीता देवी	श्री कमेन्द्र सिंह	17	शिक्षक कॉलोनी, थाना+पोस्ट– बिक्रमगंज	
38	श्रीमती रीता देवी	श्री खुशीचंन्द्र साह	17	मोहल्ला–दुर्गा स्थान, तेन्दुनी, थाना+ पोस्ट–बिक्रमगंज	
39	श्रीमती उमा देवी	श्री गणेश रवानी	18	मोहल्ला–गोसाई, थाना+पोस्ट– बिक्रमगंज	
40	श्रीमती ज्योति देवी	श्री धर्मेन्द्र कुमार	18	मोहल्ला–नासरीगंज, थाना+पोस्ट– बिक्रमगंज	
41	श्री अविशेक कुमार सिंह	श्री नेम नारायण सिंह	19	मोहल्ला+ पोस्ट–धारूपुर, थाना–बिक्रमगंज	
42	श्री प्रभाकर कुमार	श्री राधा सिंह	19	मोहल्ला+ पोस्ट–धारूपुर, थाना–बिक्रमगंज	
43	श्री राजाराम राजवार	श्री अलगु राजवार	19	मोहल्ला+ पोस्ट–धारूपुर, थाना–बिक्रमगंज	नोटिस निर्गत होने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया गया।
44	श्रीमती किरण देवी	श्री संजय सिंह	21	मोहल्ला+ पोस्ट–धारूपुर, थाना–बिक्रमगंज	
45	श्रीमती रानी देवी	श्री संजय सिंह	21	मोहल्ला+ पोस्ट–धारूपुर, थाना–बिक्रमगंज	
46	श्रीमती सुनीता देवी	श्री अनिल साह	21	मोहल्ला+ पोस्ट–धारूपुर, थाना–बिक्रमगंज	
47	अफरीन खातुन	आलिम कोरैशी	22	मोहल्ला–रहमतनगर, थाना+पोस्ट– बिक्रमगंज	
48	अनिसा बेगम	मुननू मियाँ	23	मोहल्ला–बांध, थाना+पोस्ट– बिक्रमगंज	
49	नईमा खातुन	नसीम अख्तर	23	मोहल्ला–शाह, पोस्ट+थाना– बिक्रमगंज	
50	फिका खातुन	ऐनुल शाह	23	–घुसिया कला रोड़, पोस्ट+थाना– बिक्रमगंज	
51	रोखसाना खातुन	जीमल शाह	23	मोहल्ला–बिक्रमगंज, थाना+पोस्ट– बिक्रमगंज	
52	हिना खातुन	मोहम्मद रब्बानी शाह	23	मोहल्ला–बिक्रमगंज, थाना+पोस्ट– बिक्रमगंज	
53	मो0 गुलाम सरवर	स्व0 मो0 अबरार अहमद खाँ	24	मोहल्ला–बिक्रमगंज (बड़ी मस्जिद के पास) थाना+पोस्ट –बिक्रमगंज	
54	श्री भरत राम	श्री रामाधार राम	24	बिक्रमगंज, थाना+पोस्ट– बिक्रमगंज	
55	यासमीन आरा	वकील अंसारी	25	गुलजार बाग, थाना+पोस्ट– बिक्रमगंज	
56	श्रीमती चनमुना देवी	श्री रनी राहुल कुमार	26	मोहल्ला–सिकरिया, थाना+पोस्ट– बिक्रमगंज	
57	यासमीन नाज	मो0 गुलाम सरवर	26	बड़ी मस्जिद के पास बिक्रमगंज, पोस्ट+थाना–बिक्रमगंज	
58	मुमताज खातुन	मोहम्मद इरशाद खान	27	मोहल्ला+थाना+पोस्ट–बिक्रमगंज	
59	रजिया खातुन	मोहम्मद शरफुद्दीन	27	मोहल्ला+थाना+पोस्ट–बिक्रमगंज	

उक्त स्थिति से यह प्रमाणित होता है कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2018 में भाग लेने वाले उक्त सभी 59 अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्वाची पदाधिकारी के पास निर्वाचन व्यय विवरणी जमा नहीं कराया गया था।

आयोग में वाद प्रारम्भ होने के उपरांत संज्ञान में आया कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से कारण पृच्छा नहीं किया गया था, इस कारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास को आदेश दिया गया कि वह कारण पृच्छा सभी अभ्यर्थियों को उपलब्ध करायें। आयोग के आदेश का अनुपालन जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा किया गया तथा सभी अभ्यर्थियों को कारण–पृच्छा प्रेषित की गई, इसके बावजूद केवल 04 अभ्यर्थियों द्वारा कोई जवाब दिया गया जबकि 55 अभ्यर्थियों द्वारा कोई जवाब या स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि उक्त सभी 55 अभ्यर्थी नियमों एवं आयोग के अनुदेशों का उल्लंघन किया गया है।

उक्त वर्णित स्थिति में बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–474–सह–पठित बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 101 (1) के उल्लंघन के कारण बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–474(ख) के आलोक में तालिका में अंकित क्रम संख्या–05 से क्रम संख्या–59 तक सभी 55 अभ्यर्थियों को आदेश निर्गत होने की तिथि से 3 वर्षों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु निरर्हित घोषित किया जाता है। क्रम संख्या–01 से 04 पर अंकित अभ्यर्थियों का स्पष्टीकरण स्वीकार किया जाता है तथा उनसे अपेक्षा की जाती है कि निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व नियमों से भलि–भाँति परिचित होलें तथा भविष्य में उक्त गलती की पुनरावृति न करें।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–	ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)	(डॉ० दीपक प्रसाद)
27.05.2025	27.05.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।	राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–105/2022 2295 पटना, दिनांक–27.5.25

प्रतिलिपिः– सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/5/25

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–105/2022 2295 पटना, दिनांक–27.5.25

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास/अनुमण्डल पदाधिकारी, बिक्रमगंज–सह–निर्वाची पदाधिकारी(बिक्रमगंज) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुमण्डल पदाधिकारी, बिक्रमगंज–सह–निर्वाची पदाधिकारी(बिक्रमगंज) को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति

का तामिला सभी 59 प्रतिवादियों को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

27/5/25

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–105/2022 2295 पटना, दिनांक–27.5.25

प्रतिलिपि–तालिका में अंकित सभी 59 प्रतिवादियों को सूचनार्थ प्रेषित।

27/5/25

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–105/2022 2295 पटना, दिनांक–27.5.25

प्रतिलिपि–श्री नीतीश कुमार, आई0टी0मैनेजर/श्री संजीव कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर (निर्वाचन शाखा) राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुश्रवण तथा अनुवर्ती कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/5/25

विशेष कार्य पदाधिकारी

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना

वाद संख्या–104/2022
अनुमण्डल पदाधिकारी, सासाराम–सह–निर्वाची पदाधिकारी(कोचस)
बनाम् अरबिन्द ओझा एवं अन्य (39) अभ्यर्थी।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा पत्रांक 1719/निर्वा0 दिनांक 07.12.2022 से नगर पंचायत कोचस के आम निर्वाचन, 2019 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा 30 दिनों के अंदर निर्वाचन व्यय विवरणी दाखिल नहीं करने पर कुल 39 अभ्यर्थियों की सूची एवं अन्य विवरण उपलब्ध कराया गया।

बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–474–सह–पठित बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 101 (1) के तहत निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के अंदर निर्वाचन व्यय विवरणी निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करना आवश्यक है।

उक्त नियम का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 100 (2) (vi) एवं नियम 100(3) के तहत दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–474(2) में ऐसे अभ्यर्थियों पर आदेश निर्गत कि तिथि से 3 वर्षो तक निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेने पर रोक का प्रावधान है।

आयोग द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास से प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी 39 अभ्यर्थियों को उनका पक्ष रखने हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया। लिये गये निर्णयानुसार निर्वाचन व्यय विवरणी जमा नहीं करने वाले 39 अभ्यर्थियों को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस निर्गत होने के उपरांत कुल 21 अभ्यर्थियों द्वारा अपना पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री रामानुज तिवारी के माध्यम से रखा गया, जबकि 1 अभ्यर्थी श्री राजेन्द्र प्रसाद साह द्वारा स्वयं अपना पक्ष रखा गया। 17 अभ्यर्थी सुनवाई के दौरान कभी भी उपस्थित नहीं हुए।

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रामानुज तिवारी एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद साह (अभ्यर्थी) द्वारा आयोग को बताया गया कि उन्हें जिला प्रशासन की तरफ से निर्वाचन व्यय विवरणी जमा नहीं करने पर कभी भी **"कारण बताओं नोटिस"** निर्गत नहीं किया गया, जिसके कारण उनके द्वारा जानकारी के आभाव में इसे जमा नहीं किया जा सका।

उनके द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद उनके द्वारा लगातार प्रयास किया गया कि निर्वाची पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, सासाराम उनके निर्वाचन व्यय विवरणी को स्वीकार कर लें, परंतु उनके द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया।

आयोग द्वारा पाया गया कि सभी जिला प्रशासन को निर्वाचन व्यय विवरणी जमा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध कार्रवाई के पूर्व **''कारण बताओं नोटिस''** निर्गत किये जाने का अनुदेश/निर्देश आयोग द्वारा दिया गया है, परंतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) –सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा इसका अनुपालन अक्षरशः नहीं कराया गया। फलतः आयोग द्वारा सुनवाई के क्रम में दिनांक 15.05.2024 को सभी 39 अभ्यर्थियों को **''कारण बताओं नोटिस''** जारी करने का आदेश उन्हें दिया गया। आदेश का अनुपालन करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा सभी अभ्यर्थियों को **''कारण बताओं नोटिस''** जारी किया गया जिसमें से 15 अभ्यर्थियों द्वारा अपना जवाब दिया गया है, और आरोपों को निराधार बताया गया है, जबकि 24 अभ्यर्थियों द्वारा कोई जवाब दायर नहीं किया गया है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास के प्रतिवेदन के अनुसार सभी 39 अभ्यर्थियों के ''कारण बताओं नोटिस'' के जवाब की स्थिति निम्नवत् है :–

क्र0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	वार्ड संख्या	पत्राचार का पता	नोटिस के उपरांत अभ्यर्थियों के जवाब की स्थिति।
1	आशुतोष बहादुर	श्री राम आशीष सिंह	06	गाँधी नगर, थाना+पोस्ट–कोचस	आरोपों को निराधार बताया है, परन्तु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह प्रमाणित हो कि उनके द्वारा व्यय विवरणी समय पर जमा कर दिया गया था।
2	प्रियंका कुमारी	श्री मुन्ना कुमार	10	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
3	अरविन्द ओझा	श्री राम चन्द्र ओझा	01	ओझवलिया, पोस्ट+थाना–कोचस	
4	गीता देवी	श्री दशरथ साह	12	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
5	उषा देवी	श्री उमेश कुमार गुप्ता	05	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
6	रेहाना खातुन	श्री अब्दुल हक साइ	14	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
7	नसीमा खातून	सदरूदीन अली अहमद	15	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
8	श्री नन्दलाल साह	स्व0 सोमारू साह	14	चाणक्य नगर, थाना+पोस्ट–कोचस	
9	श्रीमती गीता देवी	श्री सरोज राम	13	एन.एच. 30 छावनी रोड, रविदास नगर, थाना+पोस्ट–कोचस	
10	श्रीमती निर्मला देवी	श्री विपिन सिंह	15	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
11	बेबी बेगम	जाउल हसन	4	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
12	श्री मथुरा चौधरी	स्व0 बाल गोविन्द चौधरी	2	ग्राम–कोरीगाँवा, थाना+पोस्ट–कोचस	
13	श्री उमेश बैठा	श्री हंस लाल बैठा	3	ग्राम–कोचस, थाना+पोस्ट–कोचस	
14	श्री प्रमोद कुमार	श्री देवमुनि सिंह	07	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
15	श्री विजय कुमार सेठ	स्व0 विश्वनाथ सेठ	06	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
16	श्री गणेश चौधरी	श्री राम चौधरी	02	बहटुटियाँ, थाना+पोस्ट–कोचस	
17	श्री नरेश राम	श्री बालचन्द राम	02	कोरीगाँवा, थाना+पोस्ट–कोचस	
18	श्रीमती गुड़िया देवी	श्री अरविन्द कुमार	03	महावीर स्थान, थाना+पोस्ट–कोचस	

19	श्रीमती मधु देवी	कृष्ण साह	03	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	नोटिस निर्गत होने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया गया।
20	सरवरी खातुन	मोहम्मद सरफुद्दीन राईन	04	थाना+पोस्ट–कोचस	
21	श्री आषीष कुमार	स्व0 राम कुमार केषरी	06	उत्तरी पटेल नगर, कोचस	
22	श्रीराम सेठ	श्री राम विलास सेठ	06	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
23	श्री राजेन्द्र प्रसाद साह	स्व0 रधुनाथ साह	07	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
24	श्रीमती किरन देवी	श्री मनोज कुमार राम	09	ग्राम–परसियाँ, थाना+पोस्ट–कोचस	
25	महफुज आलम	श्री रहमान खलीफा	09	ग्राम–परसियाँ, थाना+पोस्ट–कोचस	नोटिस निर्गत होने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया गया।
26	श्रीमती अंजु देवी	श्री मुन्ना साह	10	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
27	श्रीमती सीता कुंवर	स्व0 रामाश्रय साह	10	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
28	श्री अखिलेश साह	श्री डोमा साह	11	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
29	श्री ब्रजेश कुमार सिंह	श्री राम नगीना सिंह	11	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
30	श्री मिथलेश कुमार	श्री राम प्रवेश कानू	11	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
31	श्री रामव्रत भगत	श्री रामकुंवर भगत	11	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
32	श्री शिव कुमार चौधरी	श्री राम दयाल सिंह	11	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
33	श्रीमती पम्मी देवी	श्री बघेल बंधु गुप्ता	12	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
34	श्रीमती धनमानो देवी	श्री धर्मेन्द्र पासवान	13	कृष्णा नगर, थाना+पोस्ट–कोचस	
35	श्रीमती रेणु देवी	श्री अशोक राम	13	थाना+पोस्ट–कोचस	
36	श्रीमती सुमित्रा देवी	श्री रामजी सिंह	14	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
37	फिरोजा खातुन	श्री खालिद अंसारी	15	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
38	रूबी खातून	प्रवेज अंसारी	16	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
39	श्रीमती संगीता देवी	श्री विजय साह	16	शिव नगर, थाना+पोस्ट–कोचस	

उक्त स्थिति से यह प्रमाणित होता है कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2018 में भाग लेने वाले उक्त सभी 39 अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्वाची पदाधिकारी के पास निर्वाचन व्यय विवरणी जमा नहीं कराया गया था।

आयोग में वाद प्रारम्भ होने के उपरांत जो अभ्यर्थी उपस्थित हुए उनके द्वारा यह तर्क दिया गया था कि उन्हें जिला निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से कारण पृच्छा नहीं किया गया था, इसी कारण उनके द्वारा व्यय विवरणी जमा नहीं किया गया था, परंतु उनके इस तर्क को आयोग द्वारा स्वीकार करने के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह– जिला पदाधिकारी, रोहतास को आदेश दिया गया कि वह कारण पृच्छा सभी अभ्यर्थियों को उपलब्ध करायें। **आयोग के आदेश का अनुपालन जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) –सह– जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा किया गया तथा सभी अभ्यर्थियों को कारण–पृच्छा प्रेषित की गई, इसके बावजूद 24 अभ्यर्थियों द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया जबकि 15 अभ्यर्थियों द्वारा बिना किसी साक्ष्य के**

आरोप को गलत बताया गया है, जो स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि उक्त सभी 39 अभ्यर्थी नियमों एवं आयोग के अनुदेशों का उल्लंघन किया गया है।

उक्त वर्णित स्थिति में बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–474–सह–पठित बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 101 (1) के उल्लंघन के कारण बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–474(ख) के आलोक में तालिका में अंकित सभी 39 अभ्यर्थियों को आदेश निर्गत होने की तिथि से 3 वर्षों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु निरर्हित घोषित किया जाता है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
27.05.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
27.05.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–104/2022 2294 पटना, दिनांक–27.5.25

प्रतिलिपि:– सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/5/25
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–104/2022 2294 पटना, दिनांक–27.5.25

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास/अनुमण्डल पदाधिकारी, सासाराम–सह–निर्वाची पदाधिकारी(कोचस) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुमण्डल पदाधिकारी, सासाराम–सह–निर्वाची पदाधिकारी(कोचस) को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला सभी 39 प्रतिवादियों को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

27/5/25
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–104/2022 2294 पटना, दिनांक–27.5.25

प्रतिलिपि–तालिका में अंकित सभी 39 प्रतिवादियों को सूचनार्थ प्रेषित।

27/5/25
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–104/2022 2294 पटना, दिनांक–27.5.25

प्रतिलिपि–श्री नीतीश कुमार, आई0टी0मैनेजर/श्री संजीव कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर (निर्वाचन शाखा) राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुश्रवण तथा अनुवर्ती कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/5/25
विशेष कार्य पदाधिकारी

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना
वाद संख्या–17/2020
कृष्णदेव ठाकुर बनाम धुरपति देवी।

यह वाद श्री कृष्णदेव ठाकुर, पिता–श्री सुदर्शन ठाकुर, ग्राम+पो0–मानपुर, थाना–दिघवारा, जिला–सारण द्वारा श्रीमती धुरपति देवी, पति–श्री योगेन्द्र भगत, पता–वार्ड संख्या–06, दिघवारा नगर पंचायत, जिला–सारण तत्कालीन वार्ड सदस्य के विरुद्व बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–474 के तहत निर्वाचन व्यय दाखिल नहीं करने पर सदस्यता रद्द करने हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में वादी श्री कृष्णदेव ठाकुर का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी धुरपति देवी की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता राजीव रंजन द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री राजू कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण को प्रतिनियुक्त किया गया।

3. वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे ने वादी का पक्ष रखते हुए, आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी श्रीमति धुरपति देवी, वार्ड पार्षद संख्या–06, नगर पंचायती दिघवारा, सारण द्वारा निर्वाचन व्यय विवरणी नगर पंचायत दिघवारा के कार्यालय में 30 दिनों के अन्दर जमा नहीं करने के कारण बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–474 एवं बिहार नगरपालिका नियमावली–2007 नियम–100 एवं नियम–101 के तहत निरर्हित किए जाने योग्य है।

साक्ष्य स्वरूप निर्वाची पदाधिकारी, दिघवारा के पत्रांक–708, दिनांक–29.11.2017 का अवलोकन कराया गया, जिसमें कुल 90 अभ्यर्थियों में से 30 अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय पंजी जमा किए जाने तथा शेष 60 अभ्यर्थियों द्वारा व्यय लेखा–पंजी जमा नहीं किए जाने का उल्लेख है। जमा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की सूची में क्रमांक–17 पर श्रीमति धुरपति देवी का नाम अंकित है।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता राजीव रंजन द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी का कोई Locus standi नहीं बनता अर्थात् वह इस वाद को दायर करने हेतु वैधानिक रूप से उचित व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वे न तो नगर पंचायत दिघवारा के मतदाता हैं और न ही नगर पंचायत दिघवारा के निवासी हैं। इसी प्रकार उन्होंने estoppels and latches अर्थात् मामले को तीन वर्षों के विलम्ब से आयोग के समक्ष लाने के आधार पर वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया था। आगे उनके द्वारा यह दावा किया गया कि उनके मुवक्किल द्वारा दिनांक–23.06.2017 को अपना निर्वाचन व्यय विवरणी जिला के संबद्ध प्राधिकारी को शपथ पत्र के साथ जमा करा दिया गया है जिसकी प्राप्ति उनके पास उपलब्ध है। उनके द्वारा यह दावा किया गया कि उनके साथ निर्वाचन व्यय विवरणी दायर करने वाले दो अन्य वार्ड पार्षदों श्रीमती पूनम देवी एवं श्री ज्ञानेश्वर कुमार का नाम भी निर्वाचन व्यय विवरणी जमा नहीं करने वालों की सूची में अंकित है, जबकि उक्त दोनों वार्ड पार्षदों के पास भी

निर्वाचन व्यय पंजी जमा करने की प्राप्ति उपलब्ध है। इस संबंध में उनके द्वारा जबाव के साथ संलग्न अभिलेखों का अवलोकन आयोग को कराया गया। उनके द्वारा आगे यह दावा किया गया कि यदि उनके मुवक्किल के द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा जमा नहीं किया गया तो वैधानिक प्रावधानों के तहत 30 दिनों के बाद उनकों नोटिस निर्गत क्यों नहीं की गई? उनके द्वारा यह दावा किया गया कि आज तक कोई नोटिस उनके मुवक्किल को निर्गत नहीं की गई है। उनके द्वारा बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली–2007 के नियम 101 के तहत नोटिस बोर्ड पर निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने वालों एवं जमा नहीं करने वालों की सूची आज तक नहीं चिपकाये जाने का मामला भी आयोग के संज्ञान में लाया गया है। उनके द्वारा यह दावा किया गया कि आयोग चाहे, तो उनके निर्वाचन व्यय लेखा प्राप्ति की जांच कर सकता है। अंत में उनके द्वारा दावा किया गया कि वादी द्वारा निजी राग–द्वेष के कारण यह वाद लाया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री चौबे द्वारा प्रतिवादी के दिये गये तर्कों का जोरदार खण्डन किया गया। उनके द्वारा यह संज्ञान में लाया गया कि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा 18(2) के तहत कोई भी व्यक्ति या आयोग स्वतः संज्ञान के माध्यम से वाद दायर कर सकता है। उनके द्वारा आगे यह बताया गया कि उक्त नियमावली में वाद/परिवाद दायर करने हेतु कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं है। अतः जैसे ही मामले का संज्ञान हुआ आयोग के समक्ष वाद दायर किया गया। उनके द्वारा आगे यह बताया गया कि उक्त अधिनियम की धारा 474 के तहत हर अभ्यर्थी का यह दायित्व है कि निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के अन्दर निर्वाचन व्यय लेखा जमा कर दे। उनके द्वारा यह दावा किया गया कि धुरपति देवी द्वारा आज तक अपना निर्वाचन व्यय लेखा जमा नहीं किया गया है। प्रतिवादी के द्वारा दिखाया जा रहा प्राप्ति एक जाली दस्तावेज है। उनके द्वारा दावा किया गया कि जिला पदाधिकारी, सारण के पत्रांक–2427 दिनांक–22.12.2022 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि धुरपति देवी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा जमा नहीं किया गया है तथा जिला पदाधिकारी द्वारा उनपर विधि सम्मत काईवाई करने की अनुशंसा की गई है। अतः उनके द्वारा यह मांग की गई कि धुरपति देवी पर अविलम्ब बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा 474 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

5. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा कराये गये सत्यापन–सह–जॉच प्रतिवेदन पत्रांक–2427, दिनांक–22.12.2022, पत्रांक–1056, दिनांक–20.04.2021 एवं पत्रांक–1138, दिनांक–09.05.2022 द्वारा उपलब्ध कराया गया है। जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि श्रीमति धुरपति देवी द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा पंजी जमा नहीं किया गया है, जिसके कारण उनका नाम निर्वाचन लेखा पंजी जमा नहीं करने वाले की सूची के क्रमांक–17 पर अंकित है, परन्तु धुरपति देवी द्वारा दिनांक–23.06.2017 को निर्वाचन व्यय विवरणी शपथ–पत्र के साथ जमा किया गया है, परन्तु व्यय विवरणी की प्राप्ति निर्वाची पदाधिकारी

के कार्यालय में पदस्थापित तत्कालीन आशुलिपिक श्री कृष्णा प्रसाद द्वारा की गई है, जो वर्तमान समय में आयुक्त कार्यालय सारण (छपरा) में पदस्थापित है। श्री कृष्णा प्रसाद द्वारा स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा व्यय पंजी प्राप्त की गई थी, जिसे निर्वाचन समाप्ति के उपरांत सभी अभिलेखों के साथ एक बॉक्स में बन्द कर नगर पंचायत दिघवारा को प्राप्त करा दिया गया था।

श्री कृष्णा प्रसाद, आशुलिपिक के स्वीकारोक्ति के उपरांत भूमि सुधार, उपसमाहर्त्ता, सोनपुर के समक्ष उक्त बक्से को खोलकर देखा गया, जिसमें श्रीमति धुरपति देवी का व्यय पंजी नहीं पाया गया।

जिला पदाधिकारी,सारण द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि श्री कृष्णा प्रसाद, आशुलिपिक निर्वाचन व्यय लेखा विवरणी अभिलेख प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत नहीं थे।

6. आयोग द्वारा अधिवक्ता के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, सारण(छपरा) के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के सत्यापन एवं जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत हैः–

''आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद/परिवाद का मूल कारण वादी श्री कृष्णदेव ठाकुर का यह दावा है कि प्रतिवादी श्रीमति धुरपति देवी तत्कालीन वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–06, नगर पंचायत–दिघवारा द्वारा निर्वाचन व्यय पंजी को नियमानुसार उचित प्राधिकार के पास जमा नहीं कराना है।''

आयोग द्वारा यह पाया गया कि प्रतिवादी धुरपति देवी द्वारा ससमय निर्वाचन व्यय पंजी को उचित प्राधिकार(निर्वाची पदाधिकारी, नगर पंचायत, दिघवारा) अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी/पदाधिकारी के पास जमा नहीं किया गया है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) के प्रतिवेदनों से स्पष्ट है कि श्रीमती धुरपति देवी द्वारा निर्धारित तिथि तक निर्वाचन व्यय पंजी जमा नहीं किया गया है, परन्तु निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरांत तत्समय कार्यालय में पदस्थापित आशुलिपिक, श्री कृष्णा प्रसाद के मिलिभगत से इसे कार्यालय में जमा कराने का प्रयास किया गया है, किन्तु तत्कालीन निर्वाची पदाधिकारी द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया है (जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) का पत्रांक–2427/पं0, दिनांक– 22.12.2022 एवं पत्रांक–1138/पं0, दिनांक–09.05.2022), क्योंकि न तो प्राप्ति विहित प्रपत्र में है और न ही इसे प्राधिकृत पदाधिकारी के पास जमा किया गया है। श्रीमती धुरपति देवी के निर्वाचन व्यय पंजी पर आशुलिपिक, श्री कृष्णा प्रसाद के लघु हस्ताक्षर पर अंकित तिथि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रविष्टि में इनके निर्वाचन व्यय पंजी के प्राप्ति तिथि का अंकित नहीं होना तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सोनपुर के समक्ष संधारित किए गए बॉक्स को खोलने पर श्रीमती

धुरपति देवी का व्यय पंजी प्राप्त नहीं होना भी यह प्रमाणित करता है कि उनके द्वारा निर्वाचन व्यय पंजी जमा नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्णा प्रसाद, आशुलिपिक के मिलीभगत से उनके द्वारा ऐसा प्रमाण गढ़ने का प्रयास किया गया, जिससे यह प्रमाणित हो सकें कि उनके द्वारा व्यय पंजी तो जमा किया गया है, परन्तु कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

आयोग प्रतिवादी के इस तर्क से सहमत नहीं है कि जिला प्रशासन द्वारा उन्हें निर्वाचन व्यय पंजी जमा नहीं करने पर नोटिस नहीं दिया गया, क्योंकि एक तरफ प्रतिवादी द्वारा यह तर्क दिया जा रहा है कि उनके द्वारा अपना निर्वाचन व्यय पंजी श्री कृष्णा प्रसाद, आशुलिपिक को जमा कर दिया गया था, वहीं दूसरी तरफ उनके द्वारा निर्वाचन व्यय पंजी जमा नहीं करने पर नोटिस प्राप्त नहीं होने का लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है, जो न केवल परस्पर विरोधाभासी है, बल्कि इससे यह प्रमाणित होता है कि प्रतिवादी बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–474 एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली–2007 के नियम–100 के तहत निर्वाचन व्यय विवरणी निर्वाचन परिणाम के घोषणा के 30 दिन के उपरांत जमा करने संबंधी प्रावधानों से भली–भाँति परिचित थी। साथ ही साथ यहाँ यह रेखांकित करना आवश्यक है कि ''कारण पृच्छा'' कार्रवाई से पूर्व अभ्यर्थी को नैसर्गिक न्याय के तहत दिया जाने वाला अंतिम अवसर नैसर्गिक न्याय के नियम के तहत है, जो उन्हें 30 दिनों के अन्दर विहित रीति से निर्वाचन व्यय जमा करने के वैधानिक प्रावधानों से मुक्ति प्रदान नहीं करता, वरन् उन्हें केवल यह सूचित करता है कि उनके विरूद्ध बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–474 एवं बिहार निर्वाचन नियमावली–2007 के नियम–100 का अनुपालन नहीं करने के कारण कार्रवाई क्यों नहीं की जाए, इस पर एवं इस संबंध में उनको क्या कहना है। यह आवश्यक नहीं कि उनके द्वारा दिए गए, जवाब से प्राधिकार उनपर होने वाली कार्रवाईयों से उन्हें विमुक्ति प्रदान करने हेतु बाध्य हो। विचाराधीन वाद में प्रतिवादी को कार्रवाई किए जाने के पूर्व नोटिस निर्गत किया गया है तथा उन्हें अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर भी प्रदान किया गया है, जो आयोग के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुरूप है। उल्लेखनीय है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–474 एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली–2007 के नियम–100 में इसी प्रकार के कारण पृच्छा का प्रावधान नहीं है। अतएव नोटिस प्राप्त नहीं होने का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा नित्यानन्द सिंह बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य वाद C.W.J.C. No.11752/2017 के न्यायादेश दिनांक–12.10.2017 के प्रभावकारी अंश का संदर्भ लिया जा सकता है, जो निम्नवत् है:–

"In such view of the matter, the Court would only observe that the mandate of law requires the State Election Commission to take action under Section 474 of the Act upon being satisfied in terms of Section 474 (a) and (b) of the Act. Such satisfaction can be based on either suo motu action or on verification of the records or from a report by the Returning Officer or the

District Returning Officer (Municipality) or even from any person. However, if any other person is moving before the State Election Commission, the same has to be based on materials on which action can be taken, including information obtained under Rule 101 (4) of the Rules."

विचाराधीन वाद में भी आयोग के समक्ष उपस्थापित जाँच प्रतिवेदन एवं रेकर्ड के आधार पर बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 तथा बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावाली–2007 के संगत नियमों के अधीन ही निर्णय लिया जा रहा है।

(क) उपर्युक्त सभी स्थिति से स्पष्ट है कि श्रीमती धुरपति देवी के द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–474(क) सह पठित बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली–2007 के नियम–100 के तहत निर्धारित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण निरर्हता अर्जित कर ली गई है, फलतः बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–474(ख) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्रीमती धुरपति देवी को तत्काल प्रभाव से अगले तीन वर्षों तक निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु निरर्हित किया जाता है।

(ख) श्री कृष्णा प्रसाद, आशुलिपिक वर्तमान पदस्थापन प्रमण्डलीय आयुक्त कार्यालय, सारण (छपरा) द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए, बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश प्राप्त हुए, श्रीमती धुरपति देवी का निर्वाचन व्यय पंजी पर लघु हस्ताक्षर किया गया, जिसे यह प्रतीत हो सकें कि श्रीमती धुरपति देवी द्वारा निर्वाचन व्यय पंजी जमा किया गया है, जबकि निर्वाचन व्यय पंजी प्राप्ति हेतु विहित प्रपत्र उपलब्ध है। इस प्रकार श्री कृष्णा प्रसाद, आशुलिपिक का उक्त कृत्य बिहार सरकार के कर्मियों हेतु निर्धारित एवं अपेक्षित सत्यनिष्ठा के विपरीत है। अतः उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई हेतु प्रमाणित आरोप है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, सारण को यह आदेश दिया जाता है कि श्री कृष्णा प्रसाद, आशुलिपिक के विरूद्ध उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय कार्रवाई हेतु आरोप प्रपत्र–'क' गठित किया जाए तथा इनके पैतृक विभाग को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुए, इसकी सूचना आयोग को भी उपलब्ध कराई जाए।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
28.05.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
28.05.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–17/2020 2315 पटना, दिनांक– 28.5.25

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/5/25
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–17/2020 2315 पटना, दिनांक–28.5.25

प्रतिलिपि–प्रमण्डलीय आयुक्त,सारण (छपरा)/जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, सारण(छपरा)/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण (छपरा) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण(छपरा) को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

28/5/25
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–17/2020 2315 पटना, दिनांक–28.5.25

प्रतिलिपि–वादी श्री कृष्णदेव ठाकुर, पिता–श्री सुदर्शन ठाकुर, ग्राम+पो0–मानपुर, थाना–दिघवारा, जिला–सारण एवं श्रीमती धुरपति देवी, पति–श्री योगेन्द्र भगत, पता–वार्ड संख्या–06, दिघवारा नगर पंचायत, जिला–सारण को सूचनार्थ प्रेषित।

28/5/25
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–17/2020 2315 पटना, दिनांक 28.5.25

प्रतिलिपि– श्री योगेश कुमार राय, प्रशाखा पदाधिकारी/श्री नीतीश कुमार, आई0टी0मैनेजर/श्री संजीव कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर (निर्वाचन शाखा), राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुश्रवण तथा अनुवर्ती कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/5/25
विशेष कार्य पदाधिकारी